

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

संख्या- 4/2016/सा-3-75 /दस-2016-308/97 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक : 21 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के दिनांक 01-01-2006 से अभिनवीकरण संबंधी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-008-308/97, दिनांक 08-12-2008 के क्रम में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1358/दस-2010, दिनांक 19-07-2010, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1648/दस-2010, दिनांक 12-10-2010 एवं संख्या-7/सा-3-जी0आई0-02/दस-2014-308/97 टी0सी0, दिनांक 14-07-2014 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1005/दस-2014-308/97 टी0सी0, दिनांक 07-11-2014 द्वारा न्यूनतम पेंशन / पारिवारिक पेंशन की दरें निर्धारित की गयी थीं।

2- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/37/08 पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू0(ए), दिनांक 28-01-2013 संप्रदित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/37/08 पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू0(ए), दिनांक 30-07-2015 द्वारा दिनांक 01-01-2006 से न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरें संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- संलग्न तालिका में दी गयी दरें दिनांक 01-01-2006 से लागू होंगी परन्तु इन आदेशों के अन्तर्गत न्यूनतम पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की राशि का निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों से कोई वसूली नहीं की जायेगी।

4- पूर्वोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 19-07-2010, 12-10-2010, दिनांक 14-07-2014 एवं दिनांक 07-11-2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उक्त कार्यालय-ज्ञापों की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

संलग्नक : यथोक्त

अजय अग्रवाल

सचिव, वित्त।

--2/-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या- 4/2016/सा-3- 75(1) /दस-2016-308/97 टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 2- सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 9- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 10- मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 11- मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 13- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

--3/-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2016/सा-3-75/दस-2016-308/97 टी0सी0, दिनांक 21 जनवरी, 2016 का संलग्नक

क्रम संख्या	दिनांक 01-01-1986 से लागू वेतनमान	दिनांक 01-01-1996 से लागू वेतनमान	छठवें उ0प्र0 वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 01-01-2006 से संशोधित पे बैंड	ग्रेड वेतन	पे-बैंड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड वेतन का योग	न्यूनतम पेंशन	न्यूनतम पारिवारिक पेंशन
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	825-15-900-20-1200	2750-70-3800-75-4400	5200-20200	1800	7330	3665	3500
2-	950-20-1150-25-1400 950-20-1150-25-1500	3050-75-3950-80-4590	5200-20200	1900	7780	3890	3500
3-	975-25-1150-30-1540 975-25-1150-30-1660	3200-85-4900	5200-20200	2000	8060	4030	3500
4-	1200-30-1440-30-1800 1200-30-1560-40-2040 1320-30-1560-40-2040	4000-100-6000	5200-20200	2400	9840	4920	3500
5-	1350-30-1440-40-1800-50-2200 1400-40-1800-50-2300	4500-125-7000	5200-20200	2800	11,170	5585	3500
6	1400-40-1800-50-2400	4500-125-7250	5200-20200	2800	11,170	5585	3500

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7-	1400-40-1600-50-2300-60-2600 1600-50-2300-60-2600 1600-50-2300-60-2660	5000-150-8000	9300-34800	4200	13500	6750	4050
8-	1640-60-2600-75-2900	5500-175-9000	9300-34800	4200	14430	7215	4329
9-	2000-60-2300-75-3200 2000-60-2300-75-3200-100-3500	6500-200-10500	9300-34800	4200	16290	8145	4887
10-	2375-75-3200-100-3500	7450-225-11500	9300-34800	4600	18460	9230	5538
11-	2200-75-2800-100-4000 2350-75-2800-100-4000 2275-75-2800-100-4100	8000-275-13500	9300-34800	5400	20280	10140	6084
12-	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500 (सीधी भर्ती)	15600-39100	5400	21000	10500	6300
13-	2350-75-2800-100-4300 2350-75-2800-100-4400	8550-275-14600	15600-39100	5400	21000	10500	6300
14-	3000-100-3500-125-4500 3000-100-3500-125-4750 3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200	15600-39100	6600	25200	12600	7560
15-	3200-100-3500-125-4875	10650-325-15850	15600-39100	6600	26410	13205	7923
16-	3700-125-4700-150-5000	12000-375-16500	15600-39100	7600	29920	14960	8976

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

17-	4100-125-4850-150-5300 4500-150-5700	14300-400-18300	37400-67000	8700	46100	23050	13830
18-	5100-150-5700 5100-150-6150 5100-150-5700-200-6300	16400-450-20000	37400-67000	8900	48590	24295	14577
19-	5900-200-6700	18400-500-22400	37400-67000	10000	54700	27350	16410
20-	7300-100-7600	22400-525-24500	67000-79000	NIL	67000	33500	20100
21-	8000/- FIXED	26000 (FIXED)	80000 (FIXED)	NIL	80000	40000	24000

नोट- क्रमांक-1 पर अंकित वेतनमानों से निम्नतर वेतनमान छोड़ दिये गये हैं क्योंकि उन वेतनमानों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि ₹0 3500/- प्रति माह होगी।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।